::संशोधित::

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला शहडोल (म.प्र.)

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

क्रमांक/मु.रा.आ.ग्रा.यो./ 2021/ 955A   शहडोल दिनांक 19/11/2021

मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-7-13/2021/29-1 भोपाल दिनांक 13/11/2021 के अनुसार शहडोल जिले में आदिवासी विकासखण्डों के सेक्टरों में पात्र परिवारों को ग्राम में राशन सामग्री का वितरण करने हेतु "मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना" अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों में सामग्री परिवहन हेतु हितग्राहियों का चयन किया जाना है। जिले में 03 सेक्टरो से आवेदन हेतु दिनांक 19.11.2021 तक विज्ञप्ति जारी की गई थी किन्तु निर्धारित अवधि में चुहिरी, केशवाही, टिहकी सेक्टरों से अभ्यार्थियों के आवेदन प्राप्त न होने के कारण उक्त सेक्टर में आवेदन की तिथि 22.11.2021 तक वृद्धि की जाती है। आवेदक हितग्राही आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करेगे एवं हितग्राहियों का चयन हेतु उनकी योग्यता शासन आदेश अनुसार निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्र.	विकासखंड	सेक्टर क्रमांक/नाम	हितग्राही के चयन हेतु योग्यता	आवश्यक दस्तावेज
1	गोहपारू	चुहिरी	• आवेदक (महिला/पुरूष) सामग्री वितरण हेतु निर्धारित सेक्टर के ग्राम का निवासी हो। • उम्र 21 से 45 वर्ष हो। • अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो। • शैक्षणिक योग्यता- पांचवी पास । • लाईट मोटर व्हीकल संचालन हेतु वैध ड्रायविंग लायसेंस धारक हो। • बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता रखता हो (डिफाल्टर न हो)। • शासकीय सेवक, पेंशनर/आयकर दाता न हो।	• जाति प्रमाण-पत्र। • लाईट मोटर व्हीकल ड्रायविंग लायसेंस। • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र • निवास का प्रमाण-पत्र। • शासकीय सेवक, पेशनर/आयकर दाता न होने का स्व-घोषणा-पत्र।
2	बुढार	केशवाही		
3	जयसिंहनगर	टिहकी		

राशन सामग्री के परिवहन हेतु कस्टमाईज वाहन अनुबंधित किया जायेगा। अनुबंधित परिवहनकर्ता का चयन निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को ऋण की स्वीकृति निर्देशानुसार की जाएगी । वाहन क्रय करने हेतु अभ्यार्थी को आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने एवं डिफाल्टर न होने का घोषणा-पत्र) सहित संबंधित बैंक में ऋण हेतु आवेदन करना होगा। संबंधी अन्य जानकारी हेतु सेक्टर में सम्मिलित ग्रामों की सूची का अवलोकन जिले के बेवसाइट www.shahdol.nic.in तथा विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) शहडोल कार्यालय एवं संबंधित क्षेत्र के सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है ।

'मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना' हेतु पात्र हितग्राही दिनांक 22/11/2021 तक अपने आवेदन जिला आपूर्ति नियंत्रक कलेक्ट्रेट खाद्य शाखा जिला शहडोल में प्रस्तुत करेगे । जिसके परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों का चयन गठित समिति द्वारा किया जावेगा ।

19.11.21

जिला आपूर्ति नियंत्रक
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/ मु.रा.आ.ग्रा.यो./ 2021/ 955 शहडोल दिनांक 19/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला-शहडोल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त शहडोल ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद कार्यालय (समस्त) जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ ।
6. उपायुक्त सहकारिता, सहकारी संस्थाए जिला शहडोल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शहडोल की ओर सूचनार्थ ।
8. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग शहडोल ।
9. उप संचालक जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय शहडोल की ओर से समस्त समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ, एनआईसी) जिला शहडोल की ओर जिले की वेबसाइट में प्रदर्शित कराने हेतु प्रेषित ।
11. जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम जिला-शहडोल।
12. लीड बैंक अधिकारी जिला-शहडोल।
13. सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सोहागपुर, गोहपारू, बुढार एवं जयसिंहनगर शहडोल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा अनुविभागीय अधिकारी/ जनपद कार्यालय (समस्त) एवं स्थानीय स्तर के प्रमुख कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित करवाकर रिर्पोट भेजने हेतु प्रेषित।

19.11.21

जिला आपूर्ति नियंत्रक
शहडोल (म.प्र.)